संख्या-15/2017-1843/58-2017-429/2015

प्रेषक,

सुधीर गर्ग,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊः दिनांक 12 जुलाई, 2017**

विषयः **केन्द्र पुरोनिधानित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के उपघटक पर ड्राप मोर क्राप-माइक्रो इरीगेशन में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर के प्रोत्साहन हेतु अतिरिक्त राज्यांश अनुदान (टाप-अप) एवं योजना कार्यान्वयन हेतु दिशा-निर्देश के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-78/एम0आई0-46/कैबिनेट नोट/2017-18, दिनांक 01.06.2017 एवं शासनादेश संख्या-18/2016-817/58-2016-429/2015, दिनांक 16.03.2016 का संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के उपघटक पर ड्राप मोर क्राप-माइक्रोइरीगेशन में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई सुविधा के विकास हेतु** शासनादेश संख्या-18/2016-817/58-2016-429/2015, दिनांक 16.03.2016 द्वारा विगत वर्ष 2016-17 हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये गये थे। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा अपने पत्र सं0-**F.No.11-142/2015 Hort.** दिनांक 01.04.2017 द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन हेतु नवीन दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। यह योजना 60:40 के फण्डिंग पैटर्न के आधार पर क्रियान्वित है।

3- भारत सरकार के उक्त दिशा-निर्देश दिनांक 01.04.2017 एवं पर ड्राप मोर क्राप योजना को किसानों के मध्य अधिक ग्राहय बनाये जाने हेतु श्री राज्यपाल पर ड्राप मोर क्राप-माइक्रोइरीगेशन में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई सुविधा के संबंध में निम्नवत परिवर्तित फण्डिंग पैटर्न लागू किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के उपघटक पर ड्राप मोर क्राप-माइक्रोइरीगेशन में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई सुविधा हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित इकाई लागत के सापेक्ष प्रदेश के लघु सीमान्त कृषकों को 90 प्रतिशत एवं अन्य कृषकों को 80 प्रतिशत अनुदान की सुविधा सुलभ करायी जायेगी। कुल अनुदान में अनिवार्य राज्यांश के साथ ही लघु सीमांत एवं अन्य कृषकों को 35-35 प्रतिशत अतिरिक्त् राज्यांश अनुदान टॉप-अप के रूप में सम्मिलित होगा, जो सभी योजनाओं में एक समान रूप से प्रदेश में लागू होगी। इससे बागवानी, कृषि एवं गन्ना फसल में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई पद्वति कृषकों के मध्य अधिक ग्राहय होगा। अनुदान की यह व्यवस्था आगामी 05 वर्षों (2017-18 से 2021-22 तक) के लिए प्रदेश के समस्त जनपदों में निम्नानुसार लागू रहेगी :-

लाभार्थी श्रेणी	केन्द्रांश **(60%)**	राज्यांश **(40%)**	अतिरिक्त राज्यांश **(Top up)**	कुल राज्यांश	कुल अनुदान	लाभार्थी अंश
1	2	3	4	5	6	7
लघु एवं सीमान्त	33 **(%)**	22 (%)	35 (%)	57 (%)	90 (%)	10 (%)

कृषक						
अन्य कृषक	27 **(%)**	18 (%)	35 (%)	53 (%)	80 (%)	20 (%)

2. लाभार्थियों की संख्या : वार्षिक कार्य योजना के अनुसार 2017-18 में बागवानी कृषि एवं गन्ना फसल में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई हेतु लागभग 50,190 कृषक।

3. पात्रता :

- व्यक्तिगत लाभार्थी को अधिकतम 5 हेक्टेयर की सीमा तक अनुदान देय होगा**,** जिसके लिए लाभार्थी के पास स्वयं की भूमि होनी चाहिए।
- योजना का लाभ सहकारी समितियों के सदस्यों**, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इनकार्पोरेटेड कम्पनीज, पंचायती राज संस्थाओं, गैर सहकारी संस्थाओं, ट्रस्टस, उत्पादक कृषकों के समूह के सदस्यों को भी अनुमन्य होगा।**
- **ऐसे लाभार्थियों/संस्थाओं को भी योजना का लाभ अनुमन्य होगा, जो संविदा खेती (कान्ट्रेक्ट फार्मिंग) अथवा न्यूनतम 07 वर्ष के लीज एग्रीमेन्ट की भूमि पर बागवानी/खेती करते हैं।**
- **सिंचाई के लिए लाभार्थी के पास पानी का श्रोत उपलब्ध हो।**
- **लाभार्थी कृषक अनुदान के अतिरिक्त अवशेष धनराशि स्वयं के श्रोत से अथवा ऋण प्राप्त कर वहन करने हेतु सक्षम व सहमत हो।**
- **एक लाभार्थी कृषक/संस्था को उसी भू-भाग पर दूसरी बार 07 वर्ष के पश्चात ही योजना का लाभ अनुमन्य होगा।**

4. योजना क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत ऑपरेशनल गाईड लाइन्स : भारत सरकार के पत्र दिनांक 01.04.2017 द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के उपघटक पर ड्राप मोर क्राप-माइक्रोइरीगेशन कार्यक्रम की ऑपरेशनल गाइड लाइन्स निर्गत की गयी है**, जो 01.04.2017 से प्रभावी है। योजनान्तर्गत ड्रिप सिंचाई के लैटरल्स स्पेसिंग के आधार पर 14 श्रेणी एवं स्प्रिंकलर सिंचाई के 5 श्रेणी में वर्गीकृत करते हुए संशोधित इकाई लागत के साथ योजना क्रियान्वित किये जाने के निर्देश हैं। योजना के वित्त पोषण हेतु केन्द्रांश : राज्यांश का फण्डिंग पैटर्न 60:40 होगा।**

5. भारत सरकार द्वारा 2017-18 से योजनान्तर्गत आवश्यक वित्तीय संसाधनों की पूर्ति हेतु नाबार्ड में सृजित "माइक्रोइरीगेशन फण्ड" से त्रिपक्षीय एग्रीमेंट के आधार पर ऋण प्राप्त कर भी वहन किये जाने की व्यवस्था की गयी है। चालू वित्तीय वर्ष में राज्य के लिए संसूचित केन्द्रांश की धनराशि रू0-50 करोड़ के सापेक्ष राज्यांश अनुदान सम्मिलित कर आय-व्ययक में प्राविधान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अत: आगामी वर्षों में यथावश्यक इस फण्ड का उपयोग किया जायेगा।

6. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के उपघटक पर ड्राप मोर क्राप-माइक्रोइरीगेशन कार्यक्रम के अन्तर्गत् ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई सुविधा के विकास में निम्नानुसार डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डी0बी0टी0) प्रक्रिया लागू होगी :-

(i) वेब पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण के आधार पर लाभार्थियों को प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्वान्त पर चयनित कर लाभान्वित किया जायेगा।

(ii) योजनान्तर्गत इम्पैनल्ड निर्माता फर्मों में से किसी से भी ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सुविधा का लाभ प्राप्त करने हेतु लाभार्थी कृषक स्वतंत्र होगा और निर्माता फर्मों की स्वयं मूल्य प्रणाली के आधार पर किसी भी निर्माता फर्म अथवा उनके अधिकृत डीलर्स/डिस्ट्रीब्यूटर्स से आपूर्ति/स्थापना का कार्य निजी श्रोत से भुगतान करते हुए शासकीय अनुदान की धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से बैंक खाते/ऋण खाते में अन्तरित की जायेगी।

(iii) लाभार्थी कृषक द्वारा ड्रिप/स्प्रिंकलर आपूर्ति/स्थापना की सम्पूर्ण धनराशि एकमुश्त निजी श्रोत से नहीं दे पाने की स्थिति में शासकीय अनुदान की धनराशि के बराबर भुगतान हेतु पोस्ट डेटेड चेक (पी0डी0सी0) सम्बन्धित निर्माता फर्म अथवा उनके अधिकृत डीलर्स/डिस्ट्रीब्यूटर्स को हस्तगत कराकर किया जा सकता है।

(iv) लाभार्थी से प्राप्त संतुष्टि प्रमाण-पत्र जिलाधिकारी द्वारा गठित सत्यापन समिति**, जिसमें जनपदीय उद्यान अधिकारी सदस्य सचिव होंगे,** की संतोषजनक रिपोर्ट एवं निर्माता फर्म अथवा उनके अधिकृत डीलर/डिस्ट्रीब्यूटर्स को किये गये भुगतान के आधार पर जनपदीय उद्यान अधिकारी द्वारा नियमानुसार शासकीय अनुदान का वितरण/समायोजित एन0ई0एफ0टी0/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से डी0बी0टी0 प्रक्रिया के अन्तर्गत लाभार्थी कृषक के खाते में तथा बैंक ऋण की स्थिति में लाभार्थी के बैंक ऋण खाते में किया जायेगा।

कृपया उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुधीर गर्ग)
प्रमुख सचिव।

संख्या-15/2017-1843(1)/58-2017, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
(2) निजी सचिव**, कृषि सचिव,** भारत सरकार**,** कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय नई **दिल्ली।**
(3) निजी सचिव**, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0शासन।**
(4) निजी सचिव**, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग उ0प्र0शासन।**
(5) निजी सचिव**, प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग उ0प्र0शासन।**
(6) निजी सचिव**, प्रमुख सचिव, कृषि विभाग उ0प्र0शासन।**
(7) निजी सचिव**, प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, उ0प्र0शासन।**
(8) निजी सचिव**, प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0शासन।**
(9) समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश।
(10) समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
(11) गोपन अनुभाग-1
(12) वित्त (व्यय- नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0शासन।
(13) बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग उ0प्र0 शासन।
(14) समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तर प्रदेश।
(15) कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश।
(16) गन्ना आयुक्त उत्तर प्रदेश।
(17) वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0लखनऊ।
(18) समस्त संयुक्त निदेशक**,** औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र/मुख्य उद्यान विशेषज्ञ/सिस्ट्रस विशेषज्ञ उ0प्र0।
(19) समस्त उप निदेशक उद्यान**,** उत्तर प्रदेश।
(20) समस्त जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक राजकीय उद्यान/आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी उ0प्र0।
(21) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्दुबाला कटियार)
उप सचिव।